

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश


प्र०-३ विविध-३८/२०१५-

खाद्य, पटना/दिनांक-

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन श्री मो० अमानतुल्ला खाँ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हाजीपुर सदर (वैशाली) जिन्हें विभागीय कार्यालय आदेश संख्या- २२७ दिनांक- १३.०१.२०१६ द्वारा निलम्बन से मुक्त किया गया है को अगले आदेश तक के लिए पणन पदाधिकारी के पद पर अनुभाजन कार्यालय पटना में पदस्थापित किया जाता है ।

२ एतद् संबंधी पूर्व में विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश यदि कोई हो, तो विलोपित समझा जायेगा ।


३ प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।


(एल० पी० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०३-विविध-३८/२०१५- १११

खाद्य, पटना/दिनांक- ०८.०२.१६

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली एवं पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मो० अमानतुल्लाह खाँ, पणन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।